बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 03 / 02– भू0अ0नि0(प0चम्पारण)आरोप–14 / 2023..6353 **पटना, दिनांक** :–04/09/2023

आदेश

सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी(मु0), प0चम्पारण (बेतिया) के पत्रांक 454 दिनांक 15.06.2023 द्वारा सुश्री सद्फ आरा खान, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN04565) के विरूद्ध प्रतिवेदित किया गया है कि ये दिनांक 10.05.2023 से बिना सूचना के लगातार अनुपस्थित हैं एवं इनके द्वारा राजस्व ग्राम मठिया वृत के प्रपत्र–14 के विरूद्ध वाद की सुनवाई के लिए जांच प्रतिवेदन भी नहीं दिया गया है, जिसके कारण सुनवाई बाधित है। साथ ही इनके द्वारा राजस्व ग्राम सतभिड़वा का याद्दाश्त लेखन भी कॉफी दिनों से लंबित रखा गया है। इनके अनुपस्थिति के विरूद्ध स्पष्टीकरण की मांग बंदोबस्त कार्यालय के पत्रांक 430 दिनांक 07.06.2023 द्वारा किया गया है, परन्तु स्पष्टीकरण का कोई उत्तर इनके द्वारा नहीं दिया गया है। इनके कार्य को असंतोषजनक पाया गया है।

प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक 5299 दिनांक 27.06.2023 द्वारा आरोपित से 03 दिनों के अन्दर इस शर्त्त के साथ स्पष्टीकरण की मांग की गयी है कि निर्धारित अवधि तक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इतने स्पष्ट निदेश के बावजूद भी इनके द्वारा लगभग 02 माह में भी स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है, जो वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना का द्योतक है।

सुश्री सद्फ आरा के विरूद्ध लगाए गए आरोप एवं संचिका में रक्षित अभिलेखों की समीक्षा की गयी है। समीक्षोपरांत पाया गया कि इनको आवंटित राजस्व ग्राम सतभिड़वा(242) का किस्तवार कार्य में 174 दिन एवं खानापुरी कार्य में 298 दिनों की लम्बी अवधि ली गयी है, जबकि इन कार्यो के लिए समय सीमा निर्धारित है। इस संबंध में नैसर्गिक न्याय यथा लगाए गए आरोप के विरूद्ध इन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया है, परन्तु इनके द्वारा इसका लाभ नहीं उठाया जाना यह स्पष्ट करता है कि ये अपनी सफाई में कोई बात कहना नहीं चाहती हैं, जो अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं आदेशोल्लंघन का परिचायक है। इनका कृत्य लगाए गए आरोप को सम्पुष्ट करता है।

चूंकि विशेष सर्वेक्षण कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाना है। इस कार्य हेतु प्रक्रमवार समयावधि निर्धारित है। इनके द्वारा लम्बी अवधि से अनुपस्थित रहने एवं कार्य पूर्ण करने में इतनी लम्बी अवधि लेने से विशेष सर्वेक्षण के अन्य प्रक्रम के कार्यो में विलंब हुआ है। ऐसे संविदा कर्मियों के रहते निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस परिपेक्ष्य में इन्हें संविदा में बनाए रखने से इसका कुप्रभाव अन्य संविदा कर्मियों पर पड़ सकता है।

अतः **"बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम – 8(4)"** में वर्णित प्रावधान के तहत सुश्री सद्फ आरा खान, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN04565) का संविदा अनुबंध रद्द किया जाता है।

29/8/23
(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

प0 मु0 30

ज्ञापांक :– 03/02– भू0अ0नि0(प0चम्पारण)आरोप–14/2023 6253 **पटना, दिनांक** :– 04/09/2023

प्रतिलिपि :– सुश्री सद्फ आरा खान, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN04565), बंदोबस्त कार्यालय, प0चम्पारण (बेतिया) को सूचनार्थ प्रेषित।

29/8/23

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/02– भू0अ0नि0(प0चम्पारण)आरोप–14/2023 6253 **पटना, दिनांक** :– 04/09/2023

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, प0चम्पारण (बेतिया) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/8/23

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/02– भू0अ0नि0(प0चम्पारण)आरोप–14/2023 6253 **पटना, दिनांक** :– 04/09/2023

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं इसकी स्कैन कॉपी निदेशालय अन्तर्गत R2R में संधारित सुश्री सद्फ आरा खान की व्यक्तिगत संचिका में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

29/8/23